फर्द अहकाम

(नियम 26)

आअदालत .... उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू) मुकाम ....

रामजीलाल .... बनाम सरकार

किस्म मुकदमा .... प्रार्थनापत्र .... नं. 111/20 .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
28/7/20	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act का कार्यालय रिपोर्ट होकर पेश हुआ। अवलोकन किया। दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार राजगढ़ से जॉच रिपोर्ट ली जाकर मिसल दिनांक 27.8.20 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	
27/8/20	वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार राजगढ़ को जॉच रिपोर्ट हेतु लिखा जाकर मिसल दिनांक 9-10-20 को पेश हो। [signature]	
9/10/20	वकुलाय फरीकेन उपस्थित । श्रीमान ए.सी. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है । मिसल वास्ते आईन्दा कार्यवाही दिनांक 2-12-20 को पेश हो [signature]	
2/12/20	वकील पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त है मिसल दिनांक 18-1-21 को पेश हो । [signature]	
18/1/21	वकुलाय फरीकेन उपस्थित । श्रीमान ए.सी. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है । मिसल वास्ते आईन्दा कार्यवाही दिनांक 17-2-21 को पेश हो जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल मिसल रहे। [signature]	
17/2/21	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act. का इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि ख० न० 1021/8 तादादी 3.03 है० ख० न० 1024/8 तादादी 3.74 है०	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर अहकाम हुक्म में ज
	वाके रोडी भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है। अतः कृषि भूमि का रकबा राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकीय भूलवंश दर्ज कर दिया गया है जबकि खसरा 1021/8 का रकबा 3.03 है० ना हो कर 3.2190 है० व ख०न० 1024/8 का रकबा 3.74 है० ना हो कर 3.5510 हैक्टर है। आदि-आदि पेश कर दुरूस्ति का अनुतोष चाहा गया। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व जाँच रिपोर्ट से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती पाई जाती है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 208 ख०न० 1021/8 का रकबा 3.03 हैक्टर के स्थान पर 3.2190 व ख०न० 1024/8 का रकबा 3.74 हैक्टर के स्थान पर 3.5510 है० वाके रोडी भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर शुद्धि की जावे। तदनुसार दुरूस्ति हेतु तहसीलदार राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे। मिसल फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	